मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 2700

मद कमांक 1 से 9

निम्नलिखित बृहद परियोजनाओं के सिंचाई क्षेत्रों के निकट भविष्य में निर्वाचित जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा नहरों का रखरखाव एवं मरम्मत किया जाना है । यह नवीन व्यय का मद है । योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान के रूप में निम्नलिखित राशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, शेष राशि विभागीय बजट में उपलब्ध बचत की राशि से उपलब्ध कराई जाएगी ।

1.	हसदेव परियोजना	–	राशि रूपये 11.90 लाख
2.	महानदी परियोजना	–	राशि रूपये 06.65 लाख
3.	सोंढूर परियोजना	–	राशि रूपये 6.00 लाख
4.	कोडार परियोजना	–	राशि रूपये 0.80 लाख
5.	तांदुला परियोजना	–	राशि रूपये 5.00 लाख
6.	पैरी परियोजना	–	राशि रूपये 0.20 लाख
7.	जोंक परियोजना	–	राशि रूपये 0.15 लाख
8.	खारंग जलाशय	–	राशि रूपये 2.00 लाख
9.	मनियारी जलाशय	–	राशि रूपये 2.00 लाख

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 34,70,000 लाख की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2701

मद कमांक 10 से 38

निम्नलिखित मध्यम परियोजनाओं के सिंचाई क्षेत्रों के लिए निर्वाचित जल उपभोक्ता संथाओं को नहरों के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य हेतु अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराया जाना है । यह नवीन व्यय का मद है । योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान के रूप में निम्नलिखित राशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, शेष राशि विभागीय बजट में उपलब्ध बचत की राशि से उपलब्ध कराई जाएगी ।

1.	पिन्ड्रावन	0.10 लाख
2.	कुम्हारी	0.15 लाख
3.	बलार	0.25 लाख
4.	केशवा	0.20 लाख
5.	गोंदली	0.25 लाख
6.	खपरी	0.20 लाख
7.	खरखरा	0.30 लाख
8.	मटियामोती	0.30 लाख
9.	रूसे	0.10 लाख
10.	धारा	0.05 लाख
11.	पिपरिया	0.65 लाख
12.	छिरपानी	0.35 लाख
13.	सरोदा	0.35 लाख
14.	घोंघा	0.40 लाख
15.	झुमका	0.15 लाख
16.	गेज	0.20 लाख
17.	केदार नाला	0.20 लाख
18.	पुटका	0.10 लाख
19.	किंकारी नाला	0.20 लाख

20.	खम्हार पाकुट	0.20 लाख
21.	कुंवरपुर	0.20 लाख
22.	बांकी	0.15 लाख
23.	श्याम घुनघुटटा	0.50 लाख
24.	परालकोट	0.15 लाख
25.	मयाना	0.20 लाख
26.	झिरम नदी	0.15 लाख
27.	शिवनाथ	0.30 लाख
28.	मांड व्यपवर्तन	0.65 लाख
29.	बरनई	0.15 लाख

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 7.15 लाख की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 39

मण्डल कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता स्थानान्तरण पर रूपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान के रूप में रूपये 1,00,000 की आवश्यकता है ।

मद कमांक 40

राज्य शासन व्दारा लिये गये निर्णय के अनुसार जल उपभोक्ता संथाओं के निर्वाचन का कार्य किया जाना है । निर्वाचन से संबंधित व्यय के लिए रूपये 45.00 लाख की आवश्यकता है । यह नवीन व्यय का मद है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु इस वर्ष रूपये 45,00,000 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 41 से 44

विभागीय पद संरचना में रायगढ़ एवं दुर्ग हेतु नवीन मण्डल कार्यालय के सृजन का निर्णय लिया गया है, जिससे महानदी गोदावरी एवं हसदेव कछार के क्षेत्रों के सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण समुचित रूप से हो सकेगा । यह नवीन व्यय का मद है । उपरोक्त मण्डल कार्यालय हेतु निम्नानुसार अस्थाई पद सृजित किए जाएगे ।

कमांक	**पदनाम**	**वेतनमान**	**पदों की संख्या**
1.	अधीक्षण अभियंता	12000-16500	02
2.	कार्यपालन अभियता	10000-15200	02
3.	सहायक अभियंता	8000-13500	06
4.	मानचित्रकार	5000-8000	04
5.	सहायक मानचित्रकार	4000-6000	04
6.	अनुरेखक	3050-4590	04
7.	अधीक्षक	5000-8000	02
8.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	4500-7000	02
9.	सहायक ग्रेड-1	4500-7000	04
10.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	08
11.	डाटा एंन्ट्री आपरेटर	3500-5200	02
12.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	12
13.	स्टेनो टाईपिस्ट	3050-4590	02
14.	वाहन चालक	2610-3540	02
15.	दफतरी	2610-3540	02
16.	भृत्य	2550-3200	10

17.	चौकीदार	कलेक्टर दर	02
18.	फर्राश	अंशकालीन	02

		योग	**72**

मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु प्रतीक प्रावधान के रूप में 100/- यात्रा भत्ता हेतु रूपये 1.00 लाख अन्य आकस्मिक व्यय के अन्तर्गत रूपये 5.00 लाख तथा पेट्रोल, तेल आदि के लिए रूपये 0.40 लाख सहित कुल रूपये 6,40,100 का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 6,40,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4700

मद कमांक 45

राज्य शासन के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई हेतु एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया जाना है । जिस हेतु रूपये 3.50 करोड़ का व्यय संभावित है । इस वर्ष इस कार्य पर 100.00 लाख का व्यय संभावित है जो विभागीय बचत से किया जाएगा । यह नवीन व्यय का मद है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुमान बजट में 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4701

मद कमांक 46

जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना अंतर्गत नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना में रूपये 1.00 लाख की आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।